

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

- 1 श्री डालचंद पिता कालु जी जाट आयु बालिग निवासी जवासिया रेलमगरा जिला राजसमन्द राज०।
- 2 श्री मदनलाल पिता डालचंदजी जाट आयु बालिग निवासी जवासिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द राज०।

वादी

बनाम

- 1 श्री हरलाल पिता बेणा जी जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 2 श्री मिठूलाल पिता बेणा जी जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 3 श्री ब्रदीलाल पिता बेणा जी जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 4 श्री देवकिशन पिता बेणा जी जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 5 श्री हीरालाल पिता गोपीलाल जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 6 श्री मोहनलाल पित अमरचंद जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 7 श्री देवीलाल पिता उदराम जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 8 श्री हरीराम पिता जीतू जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 9 श्री मगनीराम पिता जीतू जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 10 श्री बालुराम पिता जीतू जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 11 श्री अम्बालाल पिता हरलाल जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।
- 12 श्री भैरूलाल पिता देवीलाल जाट आयु बालिग निवासी गोपालपुरा तहसील राशमी।

प्रतिवादी

--: दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ::--



प्रकरण संख्या 20/2011



(नीत बसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी



वर्ग	कुल	पैस	वार्ड के सर्वे	पतिवारी
वाटण के लिए स्तम्भ	1	0	0	0
शाहीपन के लिए स्तम्भ	0	0	0	0
प्रदेश के लिए स्तम्भ	0	0	0	0
..... सभ पर प्लॉट की	0	0	0	0
प्लॉट के लिए स्तम्भ	0	0	0	0
प्लॉट की फीस	0	0	0	0
साक्षियों के लिए	0	0	0	0
लिफ्ट-ब्या	0	0	0	0
आदेशिका की तारीख	0	0	0	0
कांस्ट्रक्शन की फीस	0	0	0	0
आदेशिका की तारीख	0	0	0	0
वाटण के लिए स्तम्भ	0	0	0	0



(नीला बस्ता)
 सहायक कमिश्नर,
 (उपमंडल अधिकारी)
 लाला

वादीग की ओर से अधिवक्ता की उपस्थित और पतिवारीग एकतरफा
 में इस वार्ड के आज तारीख 16.05.2022 को समक्ष अंतिम लिफ्ट के लिए
 पेश होवे पर, आदेश किया जाता है कि वार्ड का रदीकार किया जावे और
 आरपी प्लॉट रकबा आरपी की आरजी संख्या 105 रकबा 10 बीघा 02
 बिस्वा में पतिवारीग किसी प्रकार से कोई बखल-दखल-बर्बादी नहीं करे व
 बाह-डोल व फसल को क्षति नहीं पहुँचावे तथा इस हेतु अपने परिवारज
 बौकर-एजेन्ट को भी प्रेरित नहीं करे। पूर्ण डिक्री जारी की जाती है। सर्वा
 पक्षकारन अपना अपना बदन करे।
 यह आज दिनांक 16.05.2022 को मेरे क्लर्क से और न्यायालय की
 मुद्रा लगाकर दी गई।